विकास बहल जे. के समक्ष

राज पाल - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

CRR No. 846 of 2021

अक्टूबर ***25, 2021***

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, **1881—**स. **138** एंड **147—** स. **138** के तहत दोषसिद्धि-आंशिक सजा-दोषसिद्धि और समझौते के आधार पर सजा रद्द कर दी गई ।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा क्रमशः पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा की मात्रा का आदेश, क्रमशः खारिज कर दिया गया है और वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को समझौते के संदर्भ में अनुमति दी गई है।

(पैरा 12)

नीरज श्योराण, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।
प्रवीण भादु, ए.ए.जी, हरियाणा।
सनी त्यागी, अधिवक्ता, प्रतिवादी *No.2/*शिकायत कर्त्ता.

विकास बहल, जे. **(**मौखिक**)**

(1) यह एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका है जो की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 08/10.07.2019 के खिलाफ दायर है।, जिसमें याचिकाकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881(संक्षेप में, '1881 का अधिनियम') की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। और 01 वर्ष और 06 महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 6,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया, जिसमें 4,00,000/- रुपये की राशि का चेक और उक्त राशि पर ब्याज की हानि के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा दिनांक 06.08.2021 के पारित निर्णय में, जिसके तहत अपील में दोषसिद्धि के उक्त निर्णय में दी गयी चुनौती के साथ-साथ सज़ा का आदेश भी ख़ारिज कर दिया गया.

(2) वर्तमान मुकदमा के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने 1881 के अधिनियम की खंड 138 के तहत इस आरोप पर शिकायत दर्ज की थी कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता

से मैत्रीपूर्ण ऋण के रूप में 4,00,000/- रुपये की राशि दिनांक 21.02.2017 को उधार ली थी और माँग पर, याचिकाकर्ता द्वारा देयता का निर्वहन करने के लिए, शिकायतकर्ता के पक्ष में अपने खाते No.10868464144, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा - द मॉल, करनाल से रु. 4,00,000 की राशि के लिए दिनांक 20.08.2017 को चेक जारी किया था। प्रस्तुति पर, उक्त चेक को "अपर्याप्त निधि" टिप्पणी के साथ 12.10.2017 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से 'चेक अस्वीकार' करके वापस कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को चेक का भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया था और उसके ऐसा करने में विफल रहने पर, 1881 के अधिनियम की खंड 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत ने दिनांक 08.07.2019 के फैसले और दिनांक 10.07.2019 के सजा के आदेश के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ता को 1881 के अधिनियम की खंड 138 के तहत दोषी ठहराया था और याचिकाकर्ता को सजा सुनाई थी जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा दिनांकित 06.08.2021 के फैसले के माध्यम से भी खारिज कर कर दी गयी थी और कारावास की सजा बरकरार रखी गई थी। 14.10.2021 पर, मुख्य मामले को पहले रखने के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिस तारीख को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः-

> "यह मुख्य मामले की सुनवाई की तारीख को पहले करने के लिए एक आवेदन है, जो पहले से ही इस आधार पर 18.01.2022 के लिए निर्धारित है कि याचिकाकर्ता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत द्वारा डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म के साथ Rs.500 के जुर्माने के साथ- साथ एक साल और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता के पक्ष में 6 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया। अपील खारिज कर दी गई और निचली न्यायालय अपील द्वारा याचिकाकर्ता की सजा की पुष्टि की गई। दोनों पक्षों ने विवाद सुलझा लिया है।
>
> श्री सनी त्यागी के अधिवक्ता श्री चंदर शेखर सिंघल, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश होते हैं और समझौते के तथ्य को स्वीकार करते हैं।
>
> राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत कस्टडी प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता 14.10.2021 को 2 महीने और 19 दिनों की वास्तविक सजा पुरी कर ली है
>
> उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सुनवाई की तारीख को 25.10.2021 कर दिया गया है।
>
> आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।
>
> 'तत्काल सूची' के बाद लिया जाना है।"

(3) आज, मामला सुनवाई के लिए है याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामले में समझौता कर लिया गया है पंचायती समझौते और शपथ पत्र दिनांक 07.09.2021 का भी जिक्र दिया गया है जिसे CRM-29647-2021 के साथ अनुच्छेद P-2 और P-3 के रूप में संगलन किया गया है। उक्त पंचायती समझौता को नीचे पुन: पेश किया गया हैः-

राज पाल बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल जे .)

“ यह पंचायती समझौता निम्नलिखित पक्षों के बीच 07.09.2021 को किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

सोहन लाल, पुत्र श्री भरत सिंह उम्र 52 साल निवासी मकान नंबर 117, खुखराना, जिला पानीपत, आधार No.8770 2352 7732 (जिन्हें प्रथम पक्ष के रूप में बताया गया है)।

और

बलवान सिंह पुत्र श्री रामभाज निवासी गांव सुताना जिला पानीपत (जिन्हें दूसरा पक्ष बताया गया है)।

यह कि प्रथम पक्ष सोहन लाल ने दूसरे पक्ष के भाई राजपाल के खिलाफ N.I. Act की खंड 138/142 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें श्री आशुतोष, J.M.I.C, पानीपत की अदालत ने दोषी ठहराए जाने का आदेश दिनांक 10.07.2019 को पारित किया था, जिसके खिलाफ दूसरे पक्ष के भाई राजपाल ने सत्र न्यायाधीश, पानीपत की माननीय अदालत में अपील दायर की थी, जिसे 06.08.2021 को खारिज कर दिया गया था, राजपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में एक संशोधन (revision) दायर की थी जो की सी. आर. आर.-846 of 2021 है। और 22.09.2021 को निर्णय के लिए लंबित है।

राजपाल, 06.08.2021 के बाद से जिला जेल, पानीपत में न्यायिक हिरासत में है।

कि अब दोनों पक्षों के बिरादरी, समाज के सम्मानित लोग और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों को अपने साथ लेकर दोनों पक्षों के दुख और मतभेद को दूर कर दिया है। अब बिरादरी के हस्तक्षेप से सोसायटी के सम्मानित लोगों और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने समझौता कर लिया है और पहला पक्ष राजपाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है और पहला पक्ष राजपाल के पक्ष में बयान देने के लिए तैयार है।

कि दोनों पक्ष बिरादरी, समाज के सम्मानित लोगों की उपस्थिति में बिना किसी भय और लालच के इस समझौते पर पहुंचे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद या शिकायत नहीं रही। दोनों पक्ष भविष्य में इस मामले में एक-दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करेंगे।

कि दोनों पक्षों ने गवाहों और एक-दूसरे की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि और महीने पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए

फर्स्ट पार्टी
एस. डी/- सोहन लाल
पुत्र श्री भरत सिंह ,
निवासी मकान नंबर 117, खुखराना, जिला पानीपत।

राज पाल बनाम हरियाणा राज्य
(विकास बहल जे .)

दूसरा पक्ष
एस. डी./- बलवान सिंह
पुत्र श्री रामभज
निवासी गाँव सुताना, जिला पानीपत।
एस. डी./- गवाह राजेश
एस. डी./- रणधीर सिंह

(4) शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उसी के समर्थन में दायर शपथ पत्र भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" शपथ पत्र

मैं, सोहन लाल पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी मकान नंबर - 117, खुखराना, जिला पानीपत, अपने शपथ पत्र के माध्यम से कहता हूं किः-

1. कि शपथ कर्त्ता उपर्युक्त पते का निवासी है।

2. यह कि शपथ कर्त्ता ने N.I Act की खंड 138/142 के तहत पानीपत जिले के सुताना गांव के निवासी रामपाल के बेटे के खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें श्री आशुतोष,J.M.I.C पानीपत की अदालत ने दोषी ठहराए जाने का आदेश दिनांक 10.07.2019 को पारित किया था, जिसके खिलाफ राजपाल ने सत्र न्यायाधीश,पानीपत की माननीय अदालत में अपील दायर की थी, जिसे 06.08.2021 को खारिज कर दिया गया है, राजपाल द्वारा चंडीगढ़ में माननीय उच्च न्यायालय में एक संशोधन दायर किया गया है, जो CRR-846 of 2021 है और 22.09.2021 के लिए निर्णय लंबित है।

3. कि अब शपथ कर्त्ता और राजपाल ने बलवान (राजपाल का असली भाई) के माध्यम से बिराद्री की मदद से समझौता कर लिया है, जिसे समाज के सम्मानित लोग और दोनों पक्षों के रिश्तेदार और सभी मतभेदों और गलतफहमी को सुलझा लिया गया है।

4. कि शपथ कर्त्ता इस मामले में राजपाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है और राजपाल के पक्ष में बयान देने के लिए तैयार है।

5. कि यह शपथ पत्र उनकी अपनी इच्छा से दिया गया है और जोर जबरदस्ती और गलत सलाह से मुक्त है।

शपथ पत्र "

ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए समझौते और शपथ पत्र के अवलोकन से पता चलेगा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता ने मामले को सुलझा लिया है और शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता है और दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद नहीं हैं।

(5) याचिकाकर्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि समझौता वास्तविक, प्रामाणिक है और पक्षकारों द्वारा बिना किसी अनुचित दबाव या प्रभाव के निष्पादित किया गया है और उन्होंने संयुक्त रूप से प्रार्थना की है कि संशोधन याचिका की अनुमति दी जा सकती है। और निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द किया जाये। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच” में पारित निर्णय के अनुसार चेक की राशि का 15% यानी 60,000/- रुपये (चेक राशि 4,00,000/- रुपये) 03 सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, के पास जमा करने के लिए तैयार है।

(6) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि मामला 1881 के अधिनियम की खंड 138 से संबंधित है और अपराध समझौतायोग्य है, इसलिए मामले का निपटारा होने और मामले से समझौता होने की स्थिति में राज्य को कोई आपत्ति नहीं होगी, वास्तव में, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(7) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुन लिया है।

(8) उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्ष सहमत है कि समझौता बिना किसी दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव से हुआ है और उक्त मझौते की शर्तों का विधिवत पालन किया गया है। समझौता पक्षों के बीच शांति और सद्भावना बनाए रखने में बहुत सयाहक होगा और इसलिए अदालत से अपराध का समझौता खंड 147, अधिनियम, 1881 के साथ पठित खंड 320 (6) Cr.P.C के संदर्भ में करवाने का अनुरोध किया है चूंकि चेक अस्वीकार करने से संबंधित अपराध एक प्रतिपूरक प्रोफाइल है और दंडात्मक तंत्र पर प्राथमिकता होना आवश्यक है, इसलिए, वर्तमान संशोधन याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

(2010) 5 एससीसी **663**

(9) यह बताना भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता पहले ही 1 साल और 6 महीने के कठोर कारावास की कुल सजा में से 02 महीने और 20 दिनों की हिरासत से गुजर चुका है।

(10) इस अदालत ने 2017 के CRR. No.390 दिनांक 09.03.2017 को पारित एक फैसले में, जिसका शीर्षक था, 'कुलदिप सिंह बनाम विजय कुमार और एक अन्य’ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> “ कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे, 2011 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 298 और “दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल, AIR. 2010 (SC.) को आधार रखा जा सकता है। खंड 401 Cr.P.C के संदर्भ में उच्च न्यायाधीशालय की पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के परिणामस्वरूप यह पता चलने की स्थिति में कि समझौता वास्तविक, प्रामाणिक और किसी भी अनुचित प्रभाव से मुक्त है,

विचाराधीन समझौता पक्षों के पक्ष में एक स्थायी उपकरण के रूप में काम करेगा जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा छूट दी जा सकती है। पुनरीक्षण की कवायद परक्राम्य लिखत अधिनियम की खंड 147 की भावना के अनुरूप भी होगी।

दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल, AIR. 2010 (SC) 1097 में निर्धारित सिद्धांत को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा यदि विचाराधीन समझौते को न्यायालय की अनुमति से पक्षों के बीच प्रभावी होने की अनुमति दी जाती है

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री मुक्तसर साहिब द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 19.01.2017 जिसमें याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था, रद्द किया जाता है।

पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है बाशर्त दामोदर एस. प्रभु (सुप्रा) मामले में निर्धारित अनुपात के अनुसार चेक राशि का 15 प्रतिशत राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण जमा करवाए जाएँ। जिसमें विफल रहने पर इस आदेश का कोई परिणाम नहीं होगा। आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।"

(11) उपरोक्त निर्णय में "दामोदर एस. प्रभु" के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी आधार बनाया गया था । और इस प्रकार स्थापित कानून के अनुसार, इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि के फैसले को एक वैध समझौते के आधार पर रद्द करने की शक्ति है। मौजूदा मुकदमा में समझौता वास्तविक और वैध है।

(12) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत द्वारा क्रमशः पारित दोषसिद्धि का निर्णय दिनांकित 08.07.2019 और सजा की अवधि का आदेश दिनांकित 10.07.2019 के आदेश को रद कर दिया गया है और वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को समझौते के संदर्भ में अनुमति दी गई है।

(13) याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास चेक राशि का 15 प्रतिशत यानि की Rs.60,000/- जमा करे। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास Rs.60,000/- की राशि जमा नहीं करता है, तो वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज माना जाएगा।

(14) चूंकि मुख्य आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लिया गया है, इसलिए सजा के निलंबन के लिए CRM -25221-2021 निष्फल हो गया है। तदनुसार उसका निपटान किया जाता है जो की निष्फल कर दिया गया है।

शुभरीत कौर

राज पाल बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल जे .)

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

पूनम कुमारी